

प्रारूप-11
 (नियम 7 (1) देखिए)
 प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मामला सं. 183

वर्ष 2013

1. मैसर्स जाय कन्सोली डेटेड प्रा.लि. कोरपोरेट आफिस पता 215ए, सिटी सेन्टर संसार चन्द्र रोड, जयपुर निदेशक प्रदीप कुमार चौधरी व प्रदीप कुमार चौधरी अदर्शकर्ता प्रदीप कुमार चौधरी हि. 7211 / 7665 एवं गोकुल कृष्ण कालोनाईजर्स एण्ड डबलपर्स प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफीस 36, लक्ष्मीनारायण विहार, गणपतपुरा नियर मांगयावास, मानसरोवर, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान जरिये निदेशक श्री गंगासिंह तवरं पुत्र श्री सहदेव सिंह निवासी प्लाट नं. 2, न्यू कालोनी खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर हि. 454 / 7665

विषय :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क के अधीन कृषि भूमि का गैर—कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक ३१/५/१५

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :—

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क के अधीन निम्नलिखित भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :—

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा क्षेत्र (बीघा—बिस्वा)	किस्म भूमि
तहसील जयपुर जिला जयपुर	महाराजपुरा	19	0—02	जाव 2 चाही—2
		20	1—04	जाव 2 चाही—2
		21	0—12	बंजड डोल
		22	1—11	बारानी—1
		22 / 105	0—19	जाव 2 चाही—2
कुल किता		5	4 बीघा 08 बिस्वा	

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की—मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) आवेदक ने ग्राम महाराजपुरा तहसील जयपुर के ख.नं. 19 रकबा 06 बिस्वा में से 02 बिस्वा, ख.नं. 20 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण, ख.नं. 21 रकबा 0.12 बिस्वा सम्पूर्ण, ख.नं. 22 रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 22 / 105 रकबा 19 बिस्वा सम्पूर्ण, कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा के लिए अनुज्ञा चाही है जो आवेदक ने राजस्व नक्शों पर अलग रंग से मार्क किया है।

(4) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और सचिव जविप्रा, जयपुर की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर—कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क और राजस्थान अधिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अधिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।



उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
 जोन-12
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(5) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि :-

ग्राम/ तहसील	ख. न.	रकबा (बीघा—बिस्वा)	खातेदार
महाराजपुरा / जयपुर	19	0-04	मैसर्स जाय कन्सोली डेटेड प्रा.लि. कोरपोरेट आफिस 215ए सिटी सेन्टर संसार चन्द्र रोड, जयपुर निदेशक प्रदीप कुमार चौधरी, प्रदीप कुमार चौधरी अदर्शकर्ता प्रदीप कुमार चौधरी हि. 7211 / 7665 व गोकुल कृष्ण कालोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफीस 36, लक्ष्मीनारायण विहार, गणतपुरा, नियर मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान जरिये निदेशक श्री गंगासिंह तवरं पुत्र सहदेव सिंह निवासी प्लाट नं. 2, न्यू कालोनी खातीपुरा रोड झोटवाडा, जयपुर हि. 454 / 7665
"—"	20	0-09	
"—"	21	1-03	
"—"	22	1-03	
"—"	22 / 105	1-04	
कुल	5	4-08	

इस प्रकार ग्राम महाराजपुरा तहसील जयपुर के ख.नं. 19 रकबा 06 बिस्वा में से 02 बिस्वा, ख.नं. 20 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण, ख.नं. 21 रकबा 0.12 बिस्वा सम्पूर्ण, ख.नं. 22 रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 22 / 105 रकबा 19 बिस्वा सम्पूर्ण, कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा में स्थित भूमि राजस्व नक्शों में अलग रंग से दर्शायी है, पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक / आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

- (6) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमीयम् नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निष्केप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् जविप्रा, जयपुर द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (7) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निवंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 31/12/13 को पारित किया गया।

५०

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
दिनांक 31/12/13

क.स. २०७



प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :-

- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
- तहसीलदार, तहसील जयपुर को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामन्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर सचिव, जविप्रा, जयपुर और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
- मैसर्स जाय कन्सोली डेटेड प्रा.लि. कोरपोरेट आफिस पता 215ए, सिटी सेन्टर संसार चन्द्र रोड, जयपुर निदेशक प्रदीप कुमार चौधरी व प्रदीप कुमार चौधरी अदर्शकर्ता प्रदीप कुमार चौधरी हि. 7211 / 7665 एवं गोकुल कृष्ण कालोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफीस 36, लक्ष्मीनारायण विहार, गणतपुरा नियर मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान जरिये निदेशक श्री गंगासिंह तवरं पुत्र श्री सहदेव सिंह निवासी प्लाट नं. 2, न्यू कालोनी खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर हि. 454 / 7665

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर